अभी 12 मीटर चौड़ी सड़क पर बनाने की है अनिवार्यता

औद्योगिक क्षेत्रों में नौ मीटर सड़क पर बन सकेंगे आवास

तैयारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और इसके आसपास रहने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवास और डॉरमेट्री बनाने की अनुमति नौ मीटर सड़क पर देने जा रही है। अभी तक 12 मीटर सड़क पर बनाने की अनिवार्यता है। इतना ही नहीं शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा सात मीटर चौड़ी सड़क पर भी देने की योजना है। आवास विभाग इसके लिए जल्द नई नीति लाने जा रहा है।

राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार की तलाश में बाहर न जाने पड़े। इसीलिए नीतियों में लगातार संशोधन कर सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों और विस्तारित क्षेत्रों में नक्शा पास करने का अधिकार विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषद के पास है। प्रदेश में देश-विदेश की निवेशक उद्योग लगा रहे हैं। इसके आसपास कर्मचारियों के रहने के लिए मकान, गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री बनाने की सुविधाएं कम जमीन और कम चौड़ी सड़क पर देने जा रही है।

आवास विभाग ने औद्योगिक क्षेत्रों के इस्तेमाल के लिए नई उपविधि बना रहा है। इसमें कई सहुलियतें देने की तैयारी है। प्रस्तावित उपविधि के मुताबिक कम भूमि पर अधिक औद्योगिक निर्माण, अधिक ऊंचाई तक निर्माण की सुविधा, कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग बदले उद्योग लगाने की सुविधा देने का प्रस्ताव है। निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए मानक पूरा करते हुए ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

मौजूदा मानकों में बदलाव की तैयारी

उद्योगों मे काम करने वालों के लिए आवास, डॉरमेट्री, छात्रावास, होटल आदि निर्माण के लिए मौजूदा मानक मे बदलाव की तैयारी है। इसके लिए न्यूनतम सड़क और भू-उपयोग मे बदलाव की तैयारी है। कृषि की भूमि पर भी निर्माण की सुविधा दी जाएगी। वेयरहाउस के साथ ही लॉजिस्टिक पार्क निर्माण की अनुमति के साथ ही मिश्रित भू-उपयोग की सुविधा के लिए उपविधि मे प्रावधान किया जा रहा है।

07 मीटर चौड़ी सड़क पर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी

- युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े इसके लिए बन रही नई नीति

जमीनों का स्थलीय सर्वे भी कराया जाएगा

उद्योग लगाने वालों को विकास प्राधिकरणों मे बताना होगा कितनी जमीन पर किस चीज का निर्माण करेंगे । इसके बाद इसका स्थलीय सर्वे कराया जाएगा और फिर एनओसी दी जाएगी। मानक के विपरीत निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके आसपस की जमीनों की कीमत बढ़ने का फायदा विकास प्राधिकरणों को भी मिलेगा। वे इस पर योजनाएं लाएंगे। इसे पुलिंग के आधार पर लिया जाएगा।